(C)

2024/50

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी

सत्यनारायण बनाम अमृत लाल

किस्म मुकद्दमा पत्थरगढी 128 एल.आर.एक्ट प्रकरण नं. 17/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म की त में जारी हुए
22/4/24	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जावें । प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम .....बडीसादडी..... की आराजी नम्बर .....907, 908, कुल किता 02 कम बा 2.47 है. ....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावें।कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नही की जावें। यह आदेश केवल पत्थरगढी के लिए है किसी भी प्रकार का कब्जा सुपूर्द नही किया जाएं। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये ....2500/.... वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में इसी आशय का हुक्मनामा जारी [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.04.30 17:17:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़